-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प सागर

नारायण तनय श्री रामचरन उर्फ रामचन्द्र अहिरवार
निवासी गाम बसारी तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म.प्र.

.......आवेदक

/ /विरूद्ध/

म.प्र.शासन

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बसारी के प्र. क्र. 115/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–07–16 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम बसारी राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर की भूमि खसरा नंबर 2889/2 रकवा 0.498 हे0 एवं खसरा नंबर 2890 रकवा 0.223 हे0 कुल किता 2 रकवा 0.721 हे0 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 1793 रकवा 0.441 हे0 में हिस्सा 1/2 मृतक खातेदार रामचरन उर्फ रामचन्द्र अहिरवार के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसका वसयीत मृतक खातेदार द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 02.11.2015 को रूबरूगवाहों के समक्ष अपने जीवनकाल में ही निष्पादित कराया एवं अपने पुत्र के साथ आजीवन निवासरत रहे हैं तथा आवेदक द्वारा आजीवन सेवा खुशामद की गई तथा उसी के द्वारा दाह संस्कार क्रियाक्रम आदि भी किय गया क्योंकि आवेदक ही वसीयतकर्ता खातेदार एकमात्र पुत्र है इसके अलावा अन्य कोई पुत्र न होने के कारण वसीयत निष्पादित यह मानते हुए कराया था कि आवेदक के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था जिससे वसीयत अपनी स्वेच्छा से स्थिर बुद्धि से लिखा

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी टौरी, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244803

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4355-पी/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.12.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 115/अ—6/2015—16 में पारित आदेश दि. 18—07—2016 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर की भूमि खसरा नंबर 2889/2 रकवा 0.498 हे0 एवं खसरा नंबर 2890 रकवा 0.223 हे0 कुल किता 2 रकवा 0.721 हे0 का सम्पूर्ण भाग एवं खसरा नंबर 1793 रकवा 0.441 हे0 का हिस्सा 1/2 मृतक खातेदार रामचरन उर्फ रामचन्द्र अहिरवार के नाम से बतौर भूमि स्वामी एकाकी रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिसका वसयीत मृतक खातेदार दिनांक 02.11.2015 को रूबहू गवाहों के समक्ष अपनी स्वेच्छा से इस कारण लेख कराया था ताकि उनके मृत्यु के पश्चात उनके एक मात्र पुत्र आवेदक को नामांतरण के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न कराना पड़े तथा नायब तहसीलदार बसारी द्वारा स्वयं वसयीत में दर्शित साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किया गया है जिससे भी यह स्पष्ट हुआ कि वसीयत दिनांक 02.11.2015 को वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वेच्छा से लेख किया गया था जिससे वसीयत के आधार पर आवेदक के नाम से नामांतरण के अधार पर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में निगरानी के साथ संपूर्ण आदेश पत्रिकाओं एवं संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें यह विदित है कि नायब तहसीलदार	तर्फे श्री अजय श्रीवास्तव अभि.

[कृ. प. उ.

R. 4355-I/16 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ... आदि के हस्ताक्षर

बसारी राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी द्वारा आवेदक की ओर प्रस्तुत दस्तावेजो व दर्शित साक्षियों के कथनों पर ध्यान न देते हुए यह मानते हुए कि मृतक खातेदार का स्वर्गवास दिनांक 27.11.2015 को हो चुका है और आवेदक के पक्ष में अन्य वारसों द्वारा अपनी सहमति देते हुए किसी प्रकार की कोई आपत्ति नामांतरण किए जाने में प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में निष्पादित वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया जाना चाहिए था इस कारण नायब तहसीलदार द्वारा वारसान नामांतरण का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार मण्डल बसारी तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार रामचरन उर्फ रामचन्द्र अहिरवार के नाम बसारी में स्थित भूमि खसरा नं. 2889/2 रकवा 0.498 हे0 व खसरा नंबर 2890 रकवा 0.223 हे0 कुल रकवा 0.721 हे0 तथा खसरा नं. 1793 रकवा 0.441 हे0 में से हिस्सा 1/2 पर आवेदक का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य